



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-I/37716/2026-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०/C-51573

दिनांक 20.01.2026

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को,
वाराणसी/ लखनऊ/आगरा /मेरठ/कानपुर।

विषय: उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना को नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कर्मिकों के मध्य प्रचारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी वितरण निगमों के नियमित कर्मिकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-412-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2025-10-का०वि०नी०/24, दिनांक 15.05.2025 (छयाप्रति संलग्न) द्वारा उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना लागू की गयी है।

उक्त योजना के अंतर्गत Technical Program हेतु M.Tech (Electrical/Electronics & Communication Engineering/Computer Science & Information Technology/ Power and Energy System)/Ph.D तथा Management Program हेतु M.B.A./P.G.D.M. (Finance/H.R./Power/Energy Management/Energy Audit) तथा Professional Program हेतु C.A./C.M.A./C.F.A./C.S. इत्यादि पाठ्यक्रमों में चयनित कर्मिकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित समेकित फीस (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) इत्यादि प्रायोजित की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा National Institute Ranking Framework (NIRF) के अंतर्गत Engineering एवं Management के पाठ्यक्रमों हेतु अद्यतन प्रकाशित पृथक-पृथक सूचियों में Top 50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों (2025 की सूची संलग्न) से उपरोक्त कोर्स किए जाने के लिए योजना के माध्यम से प्रायोजित किए जाने हेतु विचारित किया जायेगा। N.I.R.F. के सूचीबद्ध सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में C.A./C.M.A आदि पाठ्यक्रमों का उल्लेख न होने के कारण उक्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु N.I.R.F. में सूचीबद्ध होने की बाध्यता नहीं होगी।

प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के कुल 10 कर्मिकों (Technical Program-05, Management Program-04 तथा Professional Program-01) को उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रायोजित किया जायेगा।

सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त ऐसे कर्मिक, जिन्होंने नियमानुसार कारपोरेशन में 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिनका सेवा काल अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात कम से कम 05 वर्ष शेष रह जाए, को ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रायोजित किया जायेगा।

उक्त के संबंध में अनुरोध है कि कृपया इस प्रोत्साहन नीति/योजना को अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कर्मिकों के मध्य व्यापक रूप से प्रचारित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा० जतिन मथाई)

निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)

सं०-I/37716/2026-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०/C-51573 तद्यदिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
3. निदेशक (वित्त/वितरण/वाणिज्य/आई०टी०/का०प्ला०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का० एवं प्र०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ।
5. निदेशक (तकनीकी), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि० (केस्को), कानपुर।
6. अधिशासी अभियंता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
7. पुस्तकालयध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. नोटिस बोर्ड।

(गौरव कुमार)

संयुक्त सचिव (ज०श० प्रशि० एवं कार्य)

- (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM) एवं इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रायोजित किये गये कारपोरेशन कार्मिकों को प्रायोजित धनराशि की अधिकतम सीमा रु० 20 लाख से मुक्त रखा जायेगा, अर्थात् इन संस्थानों में प्रायोजित किये जाने की स्थिति में वास्तविक समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) का भुगतान कारपोरेशन स्तर से किया जायेगा।
- (iii) नीति के उपरोक्त बिन्दु-(1) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त यदि कोई पाठ्यक्रम विशेष कारपोरेशन के परिप्रेक्ष्य में अधिक उपयोगी प्रतीत होता है, तो अध्यक्ष, उ०प्र० पा०का०लि० की अध्यक्षता में गठित समिति को यह विशेषाधिकार होगा कि कारपोरेशन हित में N.I.R.F. की अद्यतन सूची के टॉप-50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने हेतु कारपोरेशन के कार्मिकों को प्रायोजित किया जा सकेगा, जिसमें उक्त विशेष उपयोगिता वाले पाठ्यक्रम की वास्तविक समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान (जैसा भी निर्धारित किया जाये) कारपोरेशन स्तर से किया जा सकेगा। अर्थात् उक्त विशेष उपयोगिता वाले पाठ्यक्रम को प्रायोजित किये जाने हेतु धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।
- (4) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के कुल मिलाकर लगभग 10 कार्मिकों को उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रायोजित किया जायेगा, जिसका पाठ्यक्रमानुसार सूचक (Indicative) विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं०	पाठ्यक्रम	प्रायोजित कार्मिकों की संख्या
1	Technical Programme	05
2	Management Programme	04
3	Professional Programme	01
	Total	10

उपरोक्त तालिका में प्रायोजित कार्मिकों की संख्या में अध्यक्ष, उ०प्र० पा०का०लि० द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

- (5) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत कार्मिकों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रायोजित किया जायेगा :-
- (i) सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त ऐसे कार्मिक, जिन्होंने नियमानुसार कारपोरेशन में 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, साथ ही ऐसे कार्मिकों जिनका सेवा काल अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष शेष रह गया हो, को ही प्रोत्साहन स्वरूप उच्च शिक्षा हेतु प्रायोजित किया जायेगा।
- (ii) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के नियमित कार्मिकों को उनकी जॉब प्रोफाइल के अनुसार पाठ्यक्रम विशेष का अध्ययन करने हेतु प्रायोजित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पाठ्यक्रम का लाभ कारपोरेशन को प्राप्त होगा।
- (iii) प्रोत्साहन (Incentive) केवल तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यवसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रदान किया जाएगा। उक्त उच्च शैक्षिक योग्यता का उपयोग आवश्यकतानुसार कारपोरेशन कार्यहित में किया जायेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त वैतनिक लाभ, पदोन्नति में वरीयता का लाभ अथवा अन्य कोई वित्तीय या सेवा शर्तों का लाभ देय नहीं होगा।

(क्रमशः . . . 3)

- निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

[illegible]

संख्या: 412 (I)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 13.02.2025 को सम्पन्न 211वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।



(डा० आशीष कुमार गोयल)

अध्यक्ष